भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

267

-1-

समक्ष - माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सागर केम्प, सागर

अ-733-III/14

पंकज तनय भगवत शरण बोहरे
निवासी रविशंकर वार्ड, सागर (म०प्र०) ---- अपीलार्थी

विरुद्ध

जय प्रकाश तनय पुरुषोत्तम चौबे निवासी
ग्राम जलंधर तहसील राहतगढ़ जिला सागर ---- प्रति अपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा ४४ म०प्र०भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थी यह अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक ३१४अ।६ वर्ष १२-१३ मे पारित आदेश दिनांक ५।२।१४ से व्यथित होकर अन्य आधारो सहित निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत करता है -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

१- यहकि, श्री देव रामदूत हनुमान मन्दिर एवं श्री देव जानकी रमण मन्दिर जलंधर के नाम से खसरा नम्बर ६०० रकबा ०-८२ हे० भूमि ग्राम जलंधर मे है। उक्त दोनो देव मन्दिर के मुख्यमकार पुरुषोत्तम तनय काशीराम चौबे थे। पुरुषोत्तम तनय काशीराम चौबे के स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी व प्रति अपीलार्थी द्वारा वसीयत नामा के आधार पर नामांतरण हेतु दो पृथक पृथक आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये जिसके आधार पर राजस्व प्रकरण क्रमांक ६४-अ।६ वर्ष २०११-१२ एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक १८-अ।६ वर्ष २०११-१२ पंजीवद्ध किये गये।

२- यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ६४-अ।६ वर्ष २०११-१२ मे दिनांक ६।४।२०१२ को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का नाम राजस्व अभिलेखमें दर्ज करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व

CP 28.3.14

28-3-14

26-2-14

28-2-14

A. 733-115/14 (न्याय)

| | | |
|---|---|---|
| 25-10-16 | आवेदक अभि० श्री लक्ष्मी नारायण अपने पक्षकार के साथ उपस्थित। आवेदक अभि० द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभि० का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण Not Press में डिसमिस किया/ पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [illegible] अधिकारी | प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहती [illegible] 25/10/16 लक्ष्मी नारायण एडवो० 25/10/16 [illegible] निर्णायक |

[illegible]

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.